WESTERN U.P.
CHAMBER OF COMMERCE
& INDUSTRY

APRIL 2025
MASIK PATRIKA

✉:wupcci01@gmail.com
wupcc23@yahoo.com
✆: 0121-2661177
0121-4346686
Website: www.wupcc.org
Address: Bombay Bazar,
Meerut Cantt- 250001

- **Patron**

  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**

  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**

  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**

  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**

  Smt Sarita Agarwal

  Patrika Committee
- **Chairman**

  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**

  Shri Sushil Jain
- **Members**

  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

  Shri Rakesh Kohli

  Shri Trilok Anand

  Shri Rajendra Singh

  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**

  Ms. Khushi

INDEX

- अब “यू०पी०पी०सी०एल० कन्ज्यूमर ऐप” से घर बैठें पाएं बिजली सेवाएँ
- लंबित चालान का भुगतान न करने पर जब्त हो सकता है लाइसेंस
- अब 11 साल पुरानी टेक्सटाइल इकाइयों को भी मिलेगा अनुदान
- रक्षा इकाइयों के लिए जमीन की खरीद पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क
- यूपी पहला प्रदेश, जहां सरकार कराएगी पेटेंट
- न्यूनतम राशि से लेकर आयकर तक बदल रहे हैं कई नियम
- ईपीएफओ से निकासी में रद्द चेक की जरूरत खत्म
- जोमेटो, ओला व मिंत्रा कर्मी भी ले सकेंगे योजनाओं का लाभ
- विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।
- यूपी में आवासीय भूखंड पर बना सकेंगे दुकान
- उत्तर प्रदेश में उद्योगों को अब और जल्दी मिलेगी NOC! हर जिले में खुलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस
- अब नहीं देनी होगी आधार की Photocopy
- India to expand trade ties with nations offering fair FTAs
- Govt frames draft rules for gas meters to protect consumers
- UP Govt Signs MoU With NSE To Boost MSME Funding
- CBIC issues new rules to simplify GST registration, curb official overreach
- सूचना : मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के नवनियुक्त वीसी संजय कुमार मीणा ने संभाला कार्यभार

अब "यू०पी०पी०सी०एल० कन्ज्यूमर ऐप" से घर बैठें पाएं बिजली सेवाएँ

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि "यू०पी०पी०सी०एल० कन्ज्यूमर ऐप" से उपभोक्ता घर बैठें ही विभिन्न विद्युत सेवाओं का लाभ उठा सकतें हैं।

इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता बिजली बिल जनेरट, ऑनलाइन भुगतान, ट्रस्ट मीटर रीडिंग, भुगतान स्टेटस चेक जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं मीटर रीडिंग दर्ज कर बिजली बिल डाउनलोड कर सकतें हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता नाम, पता, बिल व श्रेणी सुधार, कनेक्शन स्थानान्तरण व सौर ऊर्जा रूफटॉप आवेदन के लिए भी ऑनलाइन अनुरोध कर सकतें हैं, जिससे उन्हें कार्यालय जाने की आवश्यकता नही होगी।

कैसे डाउनलोड करें।

यह ऐप गूगल प्ले स्टोर / एप स्टोर पर उपलब्ध है। साथ ही, इसे पीवीवीएनएल आधिकारिक वेबसाइट https://www.pvvnl.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

लंबित चालान का भुगतान न करने पर जब्त हो सकता है लाइसेंस

आपके पास पहले से कुछ ऐसे चालान हैं जिनका आपने अब तक भुगतान नहीं किया है, तो ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है। नए नियमों के तहत ऐसा होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक जब्त हो सकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले समय पर जुर्माना नहीं भरते इसके लिए सरकार ने एक नया, सख्त तरीका निकालने की तैयारी की है।

इस नए नियम के तहत अगर आपके पास पिछले तीन महीनों से लंबित ई-चालान राशि है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर आपके पास एक वित्तीय वर्ष में लाल बत्ती का उल्लंघन करने या खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में तीन चालान जारी हो चुके हैं तो आपका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। कुछ वाहन मालिकों ने देर से अलर्ट या गलत चालान के कारण जुर्माना नहीं भरा है। सरकार एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया बना रही है, जिसमें भुगतान न किए जाने तक हर महीने अलर्ट भेजना शामिल होगा।

मोबाइल और पता अपडेट करना जरूरी होगा

कई बार लोग अपना पता और मोबाइल नंबर बदल लेते हैं और ट्रैफिक चालान का मैसेज उन तक नहीं पहुंचता। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार तीन महीने का समय देने जा रही है, ताकि हर गाड़ी का मालिक अपना सही मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सके। इसके बाद बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। गाड़ी का बीमा रिन्यू नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण भी नहीं हो पाएगा।

बकाया चालान वालों का इंश्योरेंस होगा महंगा

सरकार की योजना है कि जिन लोगों के पिछले साल के कम से कम दो चालान पेंडिंग हैं, उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी महंगा हो सकता है। मतलब अगर आपने समय पर चालान नहीं भरा, तो आगे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं।

दिल्ली में सबसे कम वसूली दर

खबरों के मुताबिक कुल जारी ई-चालान राशि में से केवल 40 प्रतिशत की ही वसूली हो पा रही है। राज्यवार वसूली दर को देखते हुए, दिल्ली में सबसे कम वसूली दर 14 प्रतिशत है, इसके बाद कर्नाटक में 21 प्रतिशत और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत है। महाराष्ट्र और हरियाणा में वसूली दर सबसे अधिक 62 और 76 प्रतिशत है।

ई-चालान भुगतान को लेकर नया नियम

चालान कटने के तीन दिन में आपको नोटिस मिलेगा। नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों में चालान भरना होगा या आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो यह माना जाएगा कि गलती आपकी है। 90 दिन तक चालान न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि चालान गलत कटा है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर इस पर फैसला होगा, वरना चालान खुद ही रद्द हो जाएगा।

अब 11 साल पुरानी टेक्सटाइल इकाइयों को भी मिलेगा अनुदान

प्रदेश में वर्ष 2014 में हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर में इकाई लगाने वाले उद्यमियों को अनुदान देने का फैसला सरकार ने किया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। एमएसएमई, हथकरघा और टेक्सटाइल मंत्री ने कहा कि 11 वर्ष पुरानी इकाइयों को भी अनुदान देने का फैसला काफी अहम है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय भी उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को वर्ष 2017 की हैंडलूम पॉवर सिल्क टेक्सटाइल गारमेंट पॉलिसी में शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा, ये मुश्किल फैसला था, लेकिन इससे निवेशकों के बीच अच्छा संदेश देने के साथ पीएम मित्र पार्क का माहौल बनेगा। इस फैसले का लाभ कम से कम 100 इकाइयों को मिलेगा, जिन्हें अनुदान के रूप में करीब 125 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान में 26 इकाइयों के आवेदन के तहत 60 करोड़ के अनुदान का रास्ता साफ हो गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जिन उद्यमियों ने वस्त्रोद्योग में निवेश किया था, उसमें काफी लोग अनुदान से छूट गए थे। वर्ष 2017 में प्रदेश में सीएम के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उप्र. हैंडलूम, पॉवरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल व गारमेंटिंग पॉलिसी-2017 लाई।

यह पॉलिसी 25 जनवरी 2018 से लागू है। पिछले वर्ष एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया था कि वर्ष 2017 से पहले के ऐसे सभी मामलों को अनुदान देने के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

यूपी हैंडलूम, पॉवरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल व गारमेंटिंग पॉलिसी 2017 का मिलेगा लाभ

26 इकाइयों ने अनुदान के लिए किया आवेदन

वर्ष 2020 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के समय में आदेश हुए थे कि वर्ष 2017 से पूर्व की इकाइयों को नई नीति में नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में हुई समीक्षा में पाया गया कि सभी इकाइयां पात्र हैं। ये इकाइयां न सिर्फ प्रदेश में कारोबार का विस्तार कर रही हैं, बल्कि देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र पार्क में भी निवेश कर रही हैं। अभी वर्ष 2014 की 26 इकाइयों ने 60 करोड़ के अनुदान के लिए आवेदन किया था।

अब वर्ष 2014 में भी टेक्सटाइल इकाई लगाने वाले उद्यमी को वर्ष 2017 की नीति का लाभ मिलेगा।

90 दिन की कार्ययोजना का रोडमैप तैयार

एमएसएमई विभाग के लिए 90 दिनों की कार्ययोजना का रोडमैप बनाया गया है। एमएसएमई मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1.50 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। आगामी 90 दिनों में कम से कम 50,000 स्वीकृतियां और 40,000 ऋण बांटा जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के 46,761 लंबित आवेदनों पर स्वीकृति और 13,704 लंबित मामलों में ऋण वितरण की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जाएगी।

रक्षा इकाइयों के लिए जमीन की खरीद पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क

उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत जमीन की खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने के लिए स्टांप में 100 प्रतिशत की छूट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की है। योजना के तहत स्टांप शुल्क में छूट के लिए डीएम या उनके अनुमोदन से महाप्रबंधक जिला उद्योग क्षेत्र द्वारा इस बात को लिखित में देंगे कि संबंधित भूमि का विलेख योजना के तहत ही किया गया है। उनको संबंधित विलेख पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी करने होंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्री के समय डीएम के नाम में स्टांप शुल्क के बराबर धनराशि की बैंक गारंटी भी देनी होगी। इसकी अवधि कम से कम पांच वर्ष होना अनिवार्य है। छूट 24 जनवरी 2025 से पांच वर्ष तक मान्य रहेगी।

यूपी पहला प्रदेश, जहां सरकार कराएगी पेटेंट

प्रदेश के स्टार्टअप को अब अपने पेटेंट की चिंता नहीं करनी होगी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। देश में यूपी पहला राज्य बन गया है। जहां अब पेटेंट कराने के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

अब स्टार्टअप करने वाले अपने उत्पाद का आसानी से पेटेंट करा सकेंगे, जिससे देश में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर पहुंच सकेगा। इसके साथ ही स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के आइडिया को भी अब एक लाख रुपये दिए जाएंगे। जिससे वह अपने आइडिया का प्रोपो टाइप तैयार कर सकें।

प्रदेश में स्टार्टअप व इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। इनोवेशन हब यूपी के हेड ने बताया कि छात्रों के लिए पॉलिसी में लागू कर दी गई है। जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुरू हो रहे स्टार्टअप लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले पेटेंट कराने के लिए 80 हजार रुपये देने पड़ते थे।

पोर्टल के जरिये कराना होगा रजिस्ट्रेशन

प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम उठाएं जा रहे हैं। स्टार्टअप आइडिया देने पर भी एक लाख रुपये की मदद की जा सकेगी। इसके लिए युवाओं को इनोवेशन हब के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इनोवेशन हब यूपी के हेड ने बताया कि पांच से छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जो आइडिया के वैलिड होने की पुष्टि करेगा। इसके बाद उनकी ग्रांट को मंजूरी दे दी जाएगी और वह प्रोटोटाइप तैयार कर सकेंगे।

प्रदेश को देश में नंबर एक बनाना लक्ष्य

स्टार्टअप इन यूपी के तहत प्रदेश को देश में नंबर एक पायदान पर लाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में महाराष्ट्र स्टार्टअप स्थापित करने के मामले में नंबर एक पर था। वहीं प्रदेश में 13 हजार से अधिक स्टार्ट अप स्थापित किए जा चुके हैं और यूपी चौथे स्थान पर है। प्रदेश को रैंकिंग में नंबर एक पायदान पर लाने के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं। इसके तहत ही पेटेंट को निशुल्क कराने का निर्णय लिया गया है। अब तक पेटेंट कराने के बाद कुछ रिफंड मिलता था, लेकिन वह कब आयेगा किसी को भी पता नहीं रहता था।

इन निजी संस्थानों में भी इन्क्यूबेशन सेंटर बने : एकेटीयू से संबद्ध जीएल बजाज नोएडा, आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा, एनआईईटी ग्रेटर नोएडा, केआईईटी गाजियाबाद, एकेजी गाजियाबाद, एबीएसईसी गाजियाबाद और एमआईईटी मेरठ जैसे संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित हैं। जहां के स्टार्टअप को इनोवेशन निधि के जरिए ग्रांट दी जाती है।

न्यूनतम राशि से लेकर आयकर तक बदल रहे हैं कई नियम

वित्तीय वर्ष 2025-26 एक अप्रैल से शुरू होगा। नए वित्त वर्ष से बैंक खातों में न्यूनतम राशि रखने से लेकर आयकर तक कई नियम बदल जाएंगे। इसका असर देशभर में लोगों और करदाताओं पर पड़ेगा। नए आयकर नियम, जीएसटी के नियम, एकीकृत पेंशन स्कीम, एमएसएमई के टर्नओवर मानक तथा यूपीआई सहित कई बदलाव इनमें शामिल हैं। इन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है वरना आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अब 12.75 लाख तक कर नहीं

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान नए टैक्स स्लैब और दरों के साथ नए आयकर नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। नए आयकर नियम एक अप्रैल से लागू होंगे। इसके तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेतनभोगी लोगों को 75 हजार रुपये की मानक कटौती का भी लाभ मिलेगा, जिससे नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख रुपये कमानेवाले लोग कर मुक्त हो जाएंगे। नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे

अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पुरानी पेंशन योजना की जगह लेगी। यह 1 अप्रैल से लागू होगी। नई पेंशन योजना के नियम में परिवर्तन से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।

यूपीआई भुगतान में सुरक्षा बढ़ेगी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन मोबाइल नंबरों पर यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, उससे भुगतान नहीं होगा। बैंकों और थर्ड पार्टी यूपीआई प्रदाताओं (फोनपे, गूगल पे) को यूपीआई से जुड़े निष्क्रिय नंबरों को हटाने के लिए कहा है।

जीएसटी के ई-वे बिल नियम में बदलाव

एक तारीख से जीएसटी नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। सामान एवं सेवा कर यानी जीएसटी पोर्टल पर अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) होगा, जिसे करदाताओं के बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ई-वे बिल केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए बनाए जा सकेंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं।

बैंक में न्यूनतम राशि

एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक इत्यादि बैंक पहली तारीख से खाते में न्यूनतम शेष राशि नियमों में बदलाव कर रहे हैं। जो बैंक खाताधारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रखेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि बैंकों ने अभी बदलाव की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

कारें भी महंगी होंगी

मारुति सुजुकी, हुंडई सहित कई कंपनियों ने अप्रैल से अपने सभी मॉडल के दाम में बढ़ाने की घोषणा की है। सुजुकी चार फीसदी तक की बढ़ोतरी कर रही है, हुंडई मोटर इंडिया तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कारों की कीमत में तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।

छोटे उद्योगों की टर्नओवर सीमा बढ़ी

सरकार ने एमएसएमई के लिए टर्नओवर और निवेश मानकों में अहम बदलाव अधिसूचित किए हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को एक करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ और 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह मझोले उपक्रमों की सीमा को 50 करोड़ और 125 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ईपीएफओ से निकासी में रद्द चेक की जरूरत खत्म

सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने कहा कि अब भविष्य निधि खाते से ऑनलाइन राशि निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द किए गए चेक की तस्वीर 'अपलोड' करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही उनके बैंक खातों को नियोक्ताओं द्वारा सत्यापित करने की भी जरूरत नहीं है। इस कदम से लगभग आठ करोड़ अंशधारकों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में तेजी आने और नियोक्ताओं के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों को पीएफ खातों से ऑनलाइन धनराशि निकालने के लिए आवेदन करते समय, यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या पीएफ संख्या से जुड़े बैंक खाते के रद्द किए गए चेक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी होती है। नियोक्ताओं द्वारा भी आवेदक के बैंक खाते के विवरण को स्वीकृत करना अनिवार्य है। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

पीपीएफ खातों में नॉमिनी में बदलाव के लिए कोई शुल्क नहीं

वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ खातों के लिए 'नॉमिनी' बनाने या उसमें कोई बदलाव करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि सरकार ने अधिसूचना के जरिये आवश्यक बदलाव किए हैं। राजपत्र अधिसूचना में सरकार द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं के लिए नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए 50 रुपये का शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

जोमेटो, ओला व मिंत्रा कर्मी भी ले सकेंगे योजनाओं का लाभ

विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले आनलाइन के लिए काम करने वाले वर्कर्स को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए उनका ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आदेश दिया गया है। जिसके माध्यम से उन्हें श्रम विभाग की श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उप श्रमायुक्त ने ऐसे कार्यकर्ताओं से ई-श्रम पोर्टल पर नि श्शुल्क पंजीयन कराने की अपील की है। उप श्रमायुक्त ने बताया कि आनलाइन विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ओला, उबर, जोमेटो, स्वीगी, ब्लू डार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, यू ट्यूब, फेसबुक जैसे तमाम आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से कार्यशील श्रमिक (वर्कर्स) जिन्हें अनुबंध की शर्तों के अधीन पारिश्रमिक प्राप्त होता है। लेकिन उनका अपने नियोक्ता के साथ कर्मचारी और सेवायोजक जैसा संबंध नहीं होता है। ये केवल डिजिटल माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन्हें प्लेटफार्म वर्कर्स या गिग वर्कर्स कहते हैं। आनलाइन एप से जुड़े नियोक्ता को एग्रीगेटर्स कहा जाता है

इन सेवाओं से जुड़े वर्कर्स करा सकेंगे पंजीकरण

राइड शेरिंग सर्विस : ओला, उबर, क्रिकराइड, मारू, कूवो, टैक्सी फोर्सर
फूड एंड लाजिस्टिक डिलीवरी : जोमेटो, स्वीगी, ब्लिंकिट, फूड पांडा, विग बास्केट, जैपटो, ग्रोफर्स।
लाजिस्टिक सर्विस : एक्सप्रेसवीस, एक्सप्रेस लाजिस्टिक, ब्लू डार्ट, फिडेस्क, ट्रेक्कान, शिप राकेट, पार्टर।
ई-मार्केट प्लेस : अमेजान, फ्लिपकार्ट, स्नैपडेल ई-वे, शाप क्लु, होम शाप 18, मिंत्रा, मीसो।
प्रोफेशनल : अरबन कंपनी, जेरोधा, एरजेल ब्रोकिंग, प्रेक्टो लाइक, बाइजूस, बेटर हेल्थ, टाक्स पेस, वेडांटू, टापर्स, लीगल रा।
हेल्थकेयर : प्रेस्टो, नाइका, टाटा 01 एमजी, नेटमेडस, मेड लाइफ फिटविट।
ट्रेवल्स एंड हास्पीटेलिटी : रेड बस, मेक माइ ट्रिप, गोइवो, यात्रा, अगोडा
कंटेंट मीडिया सर्विस : यू ट्यूव, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, स्पोटीफाई, गूगल।

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता कार्यालय पत्र संख्या-2011-18 प्रवर्तन (एम० डब्लू०) / 15 दिनांक: 27-03-2025 में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधि परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का आगणन निर्गत किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 व अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यू०वे०) /4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-0- -2019 -931 (न्यू० वे०)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल द एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरे मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जूलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के औसता अंक 413 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:- दृष्टान्त-रूपये 5750/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-413 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा। (413-216) .X5750 = 50-5244.21/- प्रतिमाह 216

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये मे	दिनाक 1.10.2024 से 31.3.2025 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू० मे	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक	
				दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10701	5244.21	10994.21	422.85
2	अर्धकुशल	6325	11772	5768.63	12093.63	465.13
3	कुशल	7085	13186	6461.78	13546.78	521.03

2 ईट भट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिको की मजदूरी निम्नवत् है:-

क्रमांक	श्रेणी	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक		
1 2	अकुशल कुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू० मे	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू०-385	रू०-332.89	रूपया-697.89/- प्रति हजार
	भराईवाला (1) 500 मीटर की दूरी तक (2) 500 मीटर से अधिक	 रू०-110 रू०-132	 रू०-100.32 रू०-120.38	 रूपया-210.32/- प्रति हजार रूपया-252.38/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू०-110	रू०-100.32	रूपया-210.32/- प्रति हजार

यूपी में आवासीय भूखंड पर बना सकेंगे दुकान

घर में दुकान खोलने वालों को अब हर तरह के शोषण से मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक व अन्य तरह की गतिविधियों की अनुमति देने जा रही है। 45 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर अब गगनचुंबी बिल्डिंग को भी बनाया जा सकेगा। इसी तरह गांव के सात मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब उद्योगों को लगाया जा सकेगा।

कम जगह में ज्यादा निर्माण किया जा सके, इसके लिए भू-आच्छादन व एफएआर(फ्लोर एरिया रेशियो) को जहां बढ़ाया जा रहा है वहीं सेटबैक को कम किया जाएगा।

नए सिरे से तैयार की गई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि

बढ़ती आबादी को देखते हुए आवासीय सहित अन्य गतिविधियों के लिए कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा निर्माण सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य सरकार ने 18 वर्ष पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर नए सिरे से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को तैयार किया है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के माध्यम से सरकार भूखंड स्वामियों को भवन निर्माण को लेकर तमाम तरह की सहूलियतें देने जा रही है। उपविधि को लागू करने से पहले उस पर आपत्तियां व सुझाव मांगे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 15 दिनों में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को लिखित तौर पर सुझाव दे सकता है।

उचित सुझावों को शामिल कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उपविधि का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखेगा। माना जा रहा है कि अगले माह उपविधि को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों को अब और जल्दी मिलेगी NOC! हर जिले में खुलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई है।

उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी अनापत्ति (NOC) मिलने का समय घटाया जाएगा। उद्यमियों के साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय सभी जिलों में खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) में अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए सेल बनाई जाएगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा है कि 1995 में गठन के बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों, क्षेत्र, कार्य प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है। बदलते समय की आवश्यकताओं के मद्देनजर इनमें बदलाव किया जाना चाहिए। बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए। साथ ही, प्रत्येक जिले में एक-एक कार्यालय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हैं, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाये जा सकते हैं।

NOC देने की समय सीमा घटेगी

मुख्यमंत्री ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) निस्तारण के समय को और कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लाल, नारंगी तथा हरी श्रेणी के लिए अनापत्ति आवेदन का निस्तारण 120 दिनों में किया जा रहा है। इसे क्रमशः अभी 40, 25 और 10 दिनों में किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक तंत्र विकसित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनापत्ति एवं सहमति शुल्क में वर्ष 2008 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा गहन विचार-विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी एनओसी के आवेदन के निस्तारण के लिए समय सीमा घटाने का मांग उद्यमियों की ओर से भी उठायी गयी थी।

अब नहीं देनी होगी आधार की Photocopy

अब आपको होटलों, दुकानों, हवाईअड्डों या किसी अन्य जगहों पर आधार कार्ड की फोटोकापी देने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल क्रांति का सदुपयोग कर लोगों को सलूहियत देने के लिए प्रयासरत केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नया आधार एप लॉन्च किया।

इस एप की मदद से यूजर्स अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा कर सकेंगे। इससे आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी।

क्यूआर कोड को स्कैन करके किया जा सकेगा आधार सत्यापन

आधार सत्यापन अब केवल क्यूआर कोड को स्कैन करके किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूपीआई भुगतान करते हैं। यूजर्स अब अपनी गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा कर सकते हैं। यह एप अभी बीटा परीक्षण चरण में है। इसे मजबूत गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है।

चेहरे से पहचान का सत्यापन होगी

एप के जरिए चेहरे से पहचान का सत्यापन हो सकेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्री ने एप लॉन्च करने के बाद कहा कि आधार सत्यापन को आसान, तेज और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

आइटी मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश में कहा, नया आधार एप, मोबाइल एप के जरिए फेस आइडी प्रमाणीकरण। कोई फिजिकल कार्ड नहीं, कोई फोटोकॉपी नहीं। आइटी मंत्री ने कहा कि अब केवल एक टैप से उपयोगकर्ता केवल आवश्यक डाटा ही साझा कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। एप की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक फेस आईडी प्रमाणीकरण है, जो सुरक्षा को बढ़ाता है और सत्यापन को सहज बनाता है।

India to expand trade ties with nations offering fair FTAs

India will expand its trade ties with nations that will offer fair, balanced and equitable free trade agreements (FTAs), Commerce Minister said, stressing that the country's gains must match its offer of accessing a 1.4 billion-strong, and fast-growing consumer market.

He said that India is negotiating FTAs with different countries and regions, including the European Union (EU) and Oman.

The remarks also assume significance as India is negotiating a bilateral trade agreement with the US. The aim is to finalise the first phase of the pact by the fall (September-October) this year.

"So we will be expanding our trading relations with countries where we get a fair deal, where we can have equitable and balanced free trade agreements, where India's gains commensurate with what we are offering, a large market of 1.4 billion people, growing market, the world's fastest growing economy," he said here at India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) Conclave 2025.

He added that this corridor would help promote trade, seamless movement of goods and people, and cut down logistics costs.

Billed as a pathbreaking initiative, the IMEC envisages vast road, railroad and shipping networks among India, Saudi Arabia, the US and Europe with an aim to ensure integration among Asia, the Middle East and the West.

The IMEC was formed on the sidelines of the G20 Summit in September last year in Delhi. An agreement was signed by India, Saudi Arabia, the European Union, the United Arab Emirates (UAE), the US and some other G20 partners for the corridor.

He said that it can also open up opportunities for the financial world.

"We could have multilateral financing agencies along this corridor to help promote both the setting up of the corridor and at some stage...we should explore innovative financing models and see how this could finally be financed. For example, we have had green bonds in the past...long-term, 50-year, 100-year bonds to finance this kind of infrastructure," he said.

He added that the countries can look at harmonising regulatory practices, and enhanced alignment on process, procedures, trade practices, customs union and paperworks within these nations.

"For example, the UAE and we are already engaged to bring some alignment in our regulatory practices. If this region has to really be successful, we can't have border checkpoints at every level, so we'll have to look at regulatory connectivity also. So procedures, processes, regulation, all will have to be aligned to make this corridor a bigger success," He said.

He emphasised that there would be a need for a railway system also.

"So we'll have to have more interoperable systems going forward. If you have highways, then we need some interoperable charging infrastructure across highways if we are promoting electrical mobility. So we'll have to think through all of these possibilities and bring nations together," he said adding these measures would ultimately add to scale.

The member countries will have to look at a multi-faceted dimension that this project offers.

"For example, like UPI, you could have common payment systems, enabling money flow to be easier, and could be settled periodically, monthly or quarterly, in the reserve currency of the globe, or in dollars. But on a day to day basis, every transaction will not need to go through several iterations, only making the banks richer and adding to the cost of transport or cost of trade," the minister said.

He informed that India and the UAE have been in a dialogue for a virtual trade corridor.

"Can we extend that through the IMEC corridor?" he wondered.

India, he said, is also in dialogue with Singapore to look at the possibility of having an undersea cable for transporting clean energy.

"I've had a conversation with Australia...Singapore is also talking to Australia to see if the Singapore, Australia leg could be connected. We are in dialogue with Saudi Arabia and UAE to see if this leg could be connected," he said.

Further he said that this project needs to be seen from the lens of public-private partnership as it will help in making it financially viable and it should not be only the government's initiative.

"I do believe that initiatives will not only reduce the time to transport goods significantly...estimated to be about 40 per cent...bring down transport time, bring down cost of logistics, and therefore make trade seamless across continents, faster, more efficient," he said adding "I think this can become a new global access of the 21st century".

The good part of the project, he said, is that it respects sovereignty and it is not trying to foist one idea on everything.

"It's not trying to create an economic union. It's not trying to dominate any of the region, something which the Belt and Road Initiative is now being recognized as becoming a political tool to try and dominate certain regions and their economic future," he added.

Govt frames draft rules for gas meters to protect consumers

The government has drafted new rules requiring testing, verification and stamping of all domestic, commercial, and industrial gas meters before they can be used in trade, the consumer affairs ministry said . The proposed regulations under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 aim to ensure accuracy and reliability in gas measurement, preventing billing disputes and protecting consumers from faulty devices.

"Verified and stamped gas meters will prevent overcharging or under-measurement, reduce disputes and provide guaranteed protection to consumers against faulty or manipulated devices," the ministry said in a statement.

Consumers will benefit through fair billing, improved energy efficiency and reduced maintenance costs from standardised equipment, it added.

The draft rules include provisions for re-verification of meters in use and establish a compliance framework for manufacturers and distribution companies aligned with International Organization of Legal Metrology standards.

The ministry framed the regulations after consulting with the Indian Institute of Legal Metrology, industry experts, consumer organisations, manufacturers, testing laboratories and state authorities.

UP Govt Signs MoU With NSE To Boost MSME Funding

The Uttar Pradesh govt signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Stock Exchange (NSE) to facilitate capital-raising opportunities for the state's 96 lakh micro, small, and medium enterprises (MSMEs). These MSMEs can now raise funds by launching Initial Public Offerings (IPOs) through the NSE Emerge platform.

Sharing details, an official spokesperson said the state govt remains committed to strengthening these enterprises both financially and technically. "As part of the MSME Policy 2022, financial assistance of up to Rs 5 lakh is being offered to support MSMEs in getting listed on the stock exchange," the spokesperson said. This MoU marks a significant milestone in the state's efforts to empower its MSME sector—not only by facilitating access to capital but also by expanding market presence. NSE Emerge is a dedicated platform designed to connect MSMEs with the capital market, offering opportunities for public funding, increased brand visibility, and access to a broader investor base. In collaboration with the Uttar Pradesh govt, NSE will conduct seminars, awareness programmes, roadshows, and MSME camps across the state to educate entrepreneurs about listing and raising capital through IPOs.

The MoU was signed by managing director of UPSIC, and senior manager of NSE. Principal secretary of MSME, and secretary of MSME, were also present at the event. "Under the visionary leadership of Chief Minister and industry minister, the UP govt is creating a robust ecosystem for MSMEs. This MoU will provide them greater access to the equity market, enabling business expansion and growth,"

CBIC issues new rules to simplify GST registration, curb official overreach

The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) issued a comprehensive set of instructions on Friday to streamline the goods and services tax (GST) registration process amid growing concerns among businesses about arbitrary delays and procedural hurdles.

The revised guidelines are aimed at curbing discretionary practices by field officers, especially the tendency to seek documents not mandated under the law. This follows complaints from taxpayers about harassment and inconsistency in the registration process across jurisdictions.

The Board stated that officers should rely only on the indicative list of documents specified in Form GST REG-01. It observed that applicants were often being asked to furnish extraneous documents such as the landlord's permanent account number (PAN), Aadhaar, or even their photographs inside business premises.

"Any one document uploaded on the portal will be sufficient and no additional document should be requested," according to the Board's instruction. In cases where premises are rented, the applicant needs to upload a valid rent or lease agreement along with any one supporting document — such as the latest property tax receipt, electricity bill, or municipal khata copy — to establish ownership of the premises by the lessor.

The CBIC also directed officers to not raise presumptive or irrelevant queries. It noted that in some cases, officers were questioning why the applicant's residential address is not in the same city or state as the proposed place of business or raising objections over the type of goods or services being offered from a specific location.

"Officers...should not ask any presumptive query which is not related to the documents or information submitted by the applicant," according to the revised guidelines.To ensure timely processing, the CBIC stipulated that GST registration must be granted within seven working days if the application is complete and not flagged as risky.

Applications falling under the risky category — such as those without Aadhaar authentication or flagged by backend data analysis — must be processed within 30 days following a physical inspection of the premises.

Officers are expected to upload physical verification reports, including GPS-enabled photographs at least five days before the 30-day limit.

The Board emphasised that no registration should be granted on a deemed basis due to officer inaction.

Any demand for documents beyond those prescribed will now require prior approval from a deputy or assistant commissioner. Officers have been instructed to not raise queries on minor deficiencies unless they are crucial to establishing proof of business or ownership.

"These changes will notably reduce registration delays, eliminate avoidable rejections, and ensure fair treatment of applicants — particularly for businesses operating from shared or rented premises, startups, and proprietorships."

Senior tax officials have been directed to closely monitor the processing of registration applications, ensure adequate staffing, and take disciplinary action against officers deviating from the new guidelines. Trade notices may also be issued locally to clarify acceptable documentation under state-specific laws.

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के नवनियुक्त वीसी संजय कुमार मीणा ने संभाला कार्यभार

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के नवनियुक्त वीसी संजय कुमार मीणा ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। संजय कुमार मीणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर के सुनियोजित विकास के साथ सरकार की योजनाओं पर अमल करना रहेगा। जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें तय समय में पूरा किया जायेगा। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाकर रोक लगाई जाएगी।